



अचल सम्पत्तियों के लिए सार्वजनिक नीलामी सूचना

जबकि, **बड़ौदा यू.पी. बैंक** के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वित्तीय आसित्यों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (सरफेसी अधीनियम 2002) (2002 का 54) एवं प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम 2002 की धारा 13(12) सपठित नियम 8(6) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित ऋणियों को एक मांग नोटिस जारी की गई थी तथा बंधक सम्पत्तियों पर कब्जा भी लिया गया है। इस सूचना के द्वारा सार्वजनिक रूप से जनसामान्य व ऋणी / बंधककर्ता / जमानतकर्ता को सूचित किया जाता है कि सम्बन्धित मामलों में बकाया धनराशि की वसूली हेतु नीचे दशमी गई सम्पत्तियों की बिक्री प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के निम्नलिखित विवरणानुसार बड़ौदा यू.पी. बैंक बस्ती के ऋण खाते में बन्धक रखी हुई सम्पत्तियों की नीलामी **"जहाँ है जैसी है, जो है जैसी है, जो कुछ भी है"** के आधार पर नीलामी हेतु प्राप्त टेण्डरों में से सर्वाधिक राशि के टेण्डरों के पक्ष में की जायेगी।

जनसाधारण और विशेष रूप से कर्जदार (रौ) और गारंटीदाता (ओ) / बंधककर्ता (ओ) को एतद्वारा दोबारा सूचित किया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी ने सरफेसी अधिनियम, 2002 के अधीन निम्नांकित अचल सम्पत्तियों के लिए बोली / निविदाएं आमंत्रित करने का निर्णय लिया है। इसलिए, इच्छुक व्यक्तियों / बोलीदाताओं को दिनांक **16.03.2024** को या उससे पहले, **बड़ौदा यू. पी. बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, बस्ती** में मुहरबन्द लिफाफे में, निम्नांकित नियम व शर्तों को पूरा करके अपनी बोली प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। बोली दिनांक **18.03.2024** को समय दोपहर 12:00 बजे खोली जाएगी। उधारकर्ता का ध्यान प्रतिभूति आसित्यों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के सन्दर्भ में उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबन्धों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

क्र. सं.	ऋणी/जमानतकर्ता/ बंधककर्ता का नाम	सम्पत्ति का विवरण/मालिक का नाम	मांग सूचना तिथि/ अधिग्रहण तिथि/ अधिग्रहण प्रकार	बकाया धनराशि (₹0)	आरक्षित मूल्य/ धरोहर राशि
शाखा: बस्ती, सम्पर्क: 9453180647					
1.	ऋणी: मेसर्स कार केयर प्रो श्री हमजा रजा पुत्र अब्दुल रजा उर्फ ईदु, पता: मुरलीजोत, कोतवाली रोड, पो.-बस्ती, जिला- बस्ती - 272001 जमानतकर्ता/ बंधककर्ता: (i) अब्दुल रजा पुत्र अखलाख अहमद, पता: मुरलीजोत, कोतवाली रोड, पो.- बस्ती, जिला- बस्ती-272001 (ii) श्री अफजल अहमद अब्बासी पुत्र मोहम्मद अहमद, पता: कोतवाली रोड, गन्ना ऑफिस, मनहन्डीह अमहुत, जिला- बस्ती - 272001	सम्पत्ति के सभी भाग एवं हिस्सों सहित भूमि/मवन/प्लॉट (साम्यिक बंधक) मालिक: श्री अब्दुल रजा उर्फ ईदु, पुत्र अखलाख अहमद, प्लॉट सं. 3058, मकान सं 175, क्षेत्रफल-48.127 वर्ग मी., स्थित ग्राम- वाका मुहल्ला, मुरलीजोत, मौजा खास, तप्पा- हवेली परगना- बस्ती पूर्व, तहसील व जिला- बस्ती (उ.प्र.) चौहद्दी (सेल अहमद के अनुसार): उत्तर- अब्दुल रज्जाक का मकान/दुकान, दक्षिण- सड़क बस्ती से गोरखपुर, पूर्व-अखलाख अहमद की दुकान, पश्चिम- अब्दुल रजा का मकान	04.05.2023 15.07.2023 सांकेतिक कब्जा	₹. 19,43,191.18 दिनांक 01.05.2023 तक एवं + ब्याज और अन्य खर्च	33,66,000.00 3,36,600.00
शाखा: मालवीय रोड, सम्पर्क: 7571811430					
2.	ऋणी: मेसर्स श्री महाकाल आयुर्वेदिक प्रो अनीवेश श्रीवारस्तव पुत्र गोविन्द प्रसाद श्रीवारस्तव, पता: मड़वा नगर, बड़बन, जिला- बस्ती- 272001 जमानतकर्ता/ बंधककर्ता: (i) श्रीमती सुशीला देवी पत्नी गोविन्द प्रसाद श्रीवारस्तव, पता: मड़वा नगर, बड़बन, पो.- बस्ती, जिला- बस्ती - 272001 (ii) श्रीमती कुशुमलता श्रीवारस्तव पत्नी राजाराम, पता: राणा- कटरा, पो.- गांधी नगर, जिला- बस्ती- 272001	सम्पत्ति के सभी भाग एवं हिस्सों सहित भूमि व भवन मापित प्लॉट सं. 600 ख, क्षेत्रफल: 63.25 वर्ग मी. , स्थित ग्राम- वाका मौजा मड़वा नगर तप्पा- हवेली, परगना- बस्ती पूर्व (मुख्य सड़क सं 500 मी. दूर) जिला- बस्ती, मालिक: श्रीमती सुशीला देवी पत्नी गोविन्द श्रीवारस्तव, पता: मड़वा नगर, बड़बन, जिला- बस्ती (CERSAI - asset id:200034950302 व security interest id: 400035008946) चौहद्दी : उत्तर- खड़जा रोड, दक्षिण-इशाक अली का मकान, पूर्व-शौकत का मकान, पश्चिम-बीपत का मकान	17.04.2023 15.07.2023 सांकेतिक कब्जा	₹. 7,96,654.00 दिनांक 06.04.2023 तक एवं + ब्याज और अन्य खर्च	18,34,000.00 1,83,400.00

बिक्री के नियम एवं शर्तें: 1. इच्छुक बोलीदाताओं को मुहरबन्द लिफाफे में अपनी बोली जमा करनी है। (लिफाफे के ऊपर स्पष्ट और पठनीय बोली क्रम सं. एवं प्रकारान की तिथि वर्णित होनी चाहिए। 2. बोलीदाताओं को बोली के साथ अग्रिम में बस्ती में देययोग्य एवं प्राधिकृत अधिकारी, बड़ौदा यू. पी. के पक्ष में डीडी / बैंकर्स चेक के रूप में जमा धरोहर राशि के रूप में आरक्षित मूल्य का 10% जमा / संलग्न करना होगा। सर्वोच्च बोली मूल्य (आरक्षित मूल्य से कम की नहीं होनी चाहिए) को सफल बोलीदाता के रूप में माना जाएगा। और शेष असफल बोलीदाताओं की ईएमडी एक सप्ताह के अन्दर बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जाएगी। 3. सफल बोलीदाता को नगद के रूप में 272001 दिनांक बोली रकम (ईएमडी को छोड़कर) का 15% जमा करना होगा और शेष अनिवार्य रूप से बिक्री की पुष्टि के 15 दिनों के अन्दर जमा करना होगा, अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनके द्वारा पूर्व में जमा की गयी रकम जब्त कर ली जाएगी। 4. प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताये या पूर्व सूचना दिये बोली / सर्वोच्च बोली को स्वीकार / अस्वीकार / रद्द / निलंबित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। प्राधिकृत अधिकारी बिक्री / नीलामी की तिथि को बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। 5. प्राधिकृत अधिकारी किसी भी प्रकार के बकाया प्रमार्गों / देनदारियों / भार / करों / सरकारी बकायों और अन्य पक्ष के दावों व बकायों के लिए जवाबदेह नहीं होंगे। 6. सम्पत्ति को आरक्षित मूल्य से कम में किसी भी रकम पर बेचा नहीं जाएगा। सफल बोलीदाता को सभी स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीकरण शुल्क का भुगतान स्वयं करना होगा। 7. यदि ऐसा जाना जाता है कि दो या अधिक बोलीदाताओं की एक समान बोली रकम है तो प्राधिकृत अधिकारी उनके मध्य पुनः नयी बोली आमंत्रित करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। 8. बोली / बिक्री बैंक की पुष्टि के अधीन होगी। सम्पत्ति को **"जैसा है जहाँ है", "जैसा है जो कुछ है"** और **"वहां जो कुछ भी है"** आधार पर बेचा जा रहा है। 9. अगर कोई कर्जदार / गारंटीदाता / बंधककर्ता नीलामी से पहले बैंक को पूर्ण बकाया का भुगतान कर देता है तो नीलामी को रोक दिया जाएगा। अतः कर्जदार / गारंटीदाता / बंधककर्ता के पास नीलामी से पूर्व प्रतिभूत आसित्यों को निर्गत करने का अवसर होगा जो प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 की धारा 13 की उप- धारा (8) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन संशोधन नियमों 2002 द्वारा) के अधीन बकाया पूर्ण राशि एवं प्रमार्गों के भुगतान के अधीन होगा। 10. यह बोलीदाताओं की एकमात्र जिम्मेदारी है कि वे सम्पत्तियों के संबंध में संतुष्ट एवं पुष्ट हो लें। वे अपराध 200 बजे से साय 5:00 बजे तक किसी भी कार्यदिनांक पर संबन्धित शाखा से समय लेकर सम्पत्ति को देख कर निरीक्षण कर सकते हैं। 11. यह बिक्री नोटिस कर्जदारों / गारंटीदाता (ओं) / बंधककर्ता (ओं) के लिए विशेष रूप से तथा जनता / सर्वसाधारण के लिए सामान्य रूप से है। 12. बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया प्रतिभूत लेनदारों की वेबसाइट में प्रदान किए गये लिंक यानि <https://www.barodaupbank.in/sarfesinotice.pdf> देखें।

सरफेसी अधिनियम 2002 के अधीन 30 दिनों की बिक्री सूचना

कर्जदारों / गारंटीदाताओं / कानूनी वारिसों / बंधककर्ता (ओं) को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि नीलामी से पूर्व बैंक को उपरोक्त वर्णित सभी बकाये का भुगतान करें, अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो बंधक सम्पत्ति को वर्णित तिथि को बेच दिया जाएगा और अगर कोई अन्य बकाया शेष होगा तो उसे उचित ब्याज, प्रमार्गों एवं व्यय के साथ उनसे वसूल किया जाएगा।